इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2025—भाद्र 27, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2025

No. CT/8/0010/2025-Sec-1-05(CT)(28) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की राज्य कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईंटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सकें, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2025

No. CT-8-0010-2025-Sec-1-05(CT).–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना No. CT-8-0010-2025-Sec-1-05(CT) (28), दिनांक 18 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 18th September 2025

No. CT/8/0010/2025-Sec-1-05(CT)(28) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the state tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S.No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation.— For the purposes of this notification,—

(a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd September, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.